

1420

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

INDIA

Rs. 500

DIO

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 786822

न्यास पत्र

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 15/ 06 / 2020 श्री रितेश कुमार सिंह (आधार नं० 6732 2489 6446 पैन-डीआईएपीएस9354ई) व श्री रजत कुमार सिंह (आधार नं० 2559 5748 9219 पैन-डीआईएपीएस8956एन) पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह निवासीगण ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। द्वारा जिन्हे उक्त विलेख में इसके एश्चात संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी कहा गया है, जनपद नौएडा में तहरीर किया गया।

इस ट्रस्ट की स्थापना श्री रितेश कुमार सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष व श्री रजत कुमार सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। ने अंकन 10000/ से शांति में स्थापित किया।

33 11/07/2020
 राज्य विजय की तिथि
 राज्य का नाम
 राज्य की पंजीकरण

श्री रमेश कुमार सिंह
 पिल्लुवा, झारखंड

दया रानी राज्य विक्रेता

साइसेस नम्बर-325

साइसेस की नवीकरण की तिथि 31-3-90

श्री रमेश कुमार सिंह का निवास - पिन कोड 198 880 राज्य -
 पंजीकृत होने के लिए राज्य में पंजीकृत

आवेदन सं०: 202000739032023

न्यास पत्र

वही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 1420

वर्ष: 2020

प्रतिफल: 10000 स्टाम्प शुल्क: 2% दाजरी मूल्य: 0 पंजीकरण शुल्क: 1000 प्रतिलिपिकरण शुल्क: 120 योग: 1120

श्री रमेश कुमार सिंह,
 पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
 व्यवसाय: अन्य
 निवासी: ई 717 डी हाई फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

R. Singh



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/06/2020 एव 12:59:56 PM बजे
 निबंध्यन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी

उप निबंधक: सदर पंचम

गाजियाबाद

15/06/2020

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
 निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350477

2

इस ट्रस्ट का नाम न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा ।

तथा इस ट्रस्ट का प्रथम मुख्य कार्यालय का पता गोयल एन्कलेव अकबरपुर
बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 होगा ।

तथा आवश्यकता अनुसार ट्रस्टियों के बहुमत के निर्णय से अन्य स्थानों पर इसकी अलग
अलग जगहों पर शाखाएं भी खोली जा सकेगी ।

इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत होगा ।

Printed

Rajar Singh

34/33 11/03/20

निष्पादन सं. 739832823

समय कम करने का प्रयोजन

समय कम करने का नाम व पूरा पता

समय की धनराशि

वर्ष 2020

दया सन्नि

निष्पादन लेखपत्र बाँट सुनने व समझने के लिये प्राप्त धनराशि रु प्रत्येकानुसार उक्त

मासी: 1

श्री रितेश कुमार सिंह, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
निवासी: ई 717 डी डी ए फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

मासी: 2



श्री राजत कुमार सिंह, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह
निवासी: ई 717 डी डी ए फ्लैट बिन्दापुर पॉकेट 3 द्वारका नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री आनंद कुमार सिंह, पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह

निवासी: ग्राम व पोस्ट चकरा बिला मऊ उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री रोहन सिंह, पुत्र श्री राज बहादुर सिंह

निवासी: ईक 115 गली नं० 82 महावीर पोलो गेट दिल्ली जयपुर

व्यवसाय: अन्य



निष्पादन अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निखन अंगुठे नियमानुसार दिए गए हैं।
दिनांक:

दयानन्द प्रभोरी
उप निबंधक: सदर पंचम
गाजियाबाद

गाजियाबाद सदर पंचम लिपिक
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350478

3

यह ट्रस्ट स्व० श्री जगरनाथ सिंह, की प्रेरणा से बनाया जा रहा है।

निम्नलिखित प्रथम दो ट्रस्टीगण ट्रस्ट न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट पता गोयल
एन्कलेव अकबरपुर बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 में
आजीवन ट्रस्टी रहेंगे।

Printed

Rajesh Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350479

4

जिनके नाम व पत्ते निम्न प्रकार हैं :-

- 1 रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली।
- 2 श्रीमती मनीषा सिंह पत्नी श्री रितेश कुमार सिंह
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली।
- 3 श्रीमती कृति पत्नी श्री रजत कुमार सिंह
पता सीसीएल कालोनी चरही हजारीबाग झारखण्ड।

R. Singh

Rajat Singh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CC 350475

5

ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नवत होंगे

बिना लिंग भेद किये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा सब के लिए प्राथमिक पाठशाला अनुकूल्या प्रा.पाठशाला जूनियर हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज , महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, व अन्य इंस्टिट्यूट आफ एजुकेशन पब्लिकेशन आदि को संचालन करना मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेज, संस्कृत महाविद्यालय के माध्यम से प्रथमा , मध्यमा शास्त्री, आचार्य बी० एड० बी० पी० एड० (विशेष शिक्षा) डी० एल० एड० (विशेष शिक्षा) डी० एड०, बी० टी० सी० (विशेष शिक्षा) बी० एल० एड०, सी० बी० एस० इ० , आई० सी० एस०, वाचनालयों , प्रयोगशाला चिकित्सालयों , वृद्धा आश्रमों , अनुसंधान केन्द्र , छात्रों के लिए एकम्प्यूटर केन्द्रों , निराश्रित सर्वेक्षण केन्द्र सामुदायिक विकास केन्द्रों , पर्यावरण एडस उत्थान केन्द्रों तथा ऐसे अन्य केन्द्रों जो जनहित में स्थापित , नामकरण , विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है कि उ० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं समाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों , विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं जनहित में

इंजीनियरिंग कॉलेज, मु.पी.आई

Rajesh

Raj Singh

10. आई०आई०टी, आई०टी०आई०, फार्मसी, नर्सिंग, आपरेशन, टेक्निशियनलैब, टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी, आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य सेवा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना जो जनहित में हो।
11. समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल, नर्सिंगहोम, स्वास्थ्यकेन्द्र, मेडिकलस्टोर, जनरलस्टोर, किरानेकीदुकान, फोटोस्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म आदि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र - पत्रिकाओं समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन मुद्रण बिक्री एवं मूल्यज्ञा निर्धारण करना।
13. अंधे, गूंगे, बहरे व असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास भोजन आदि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा प्रायोगिक, कला, वाणिज्य, वैज्ञानिक, क्रीडा मार्शल आर्ट्स, संगीत तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्नस्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं में छात्र - छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उन के अध्ययन, अध्यापन आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तको, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रणवितरण
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, एड्स कार्य क्रम अधिवेशन, सम्मेलन, प्रतियोगिता बैठक विशेष कार्यक्रम कक्षार्य सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

Dixit

Kyung

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों प्रशिक्षण कॉलेजों इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उन को इस ट्रस्ट में समायोजित करना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न, अन्तर्राष्ट्रीय, संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग दान, अनुदान, चन्दा शुल्क या धन प्राप्त करना तथा यथाविधि रसीद निर्गत करना।
21. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उनका प्रचार प्रसार करना।
23. कृषि उपयोगी कार्य करना व उसका प्रचार प्रसार करना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार प्रसार करना।
26. पुस्तक, पुस्तिकाओं पत्रपत्रिकाओं, समाचार पत्र को प्रकाशित, सम्पादित वितरित एवं बिक्री करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मूल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. प्रचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें करना।
29. उपभोक्ता अधिकार, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

Dist. H. H.

Kyatsingh

30. ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सूक्ष्म ऋण प्रदान करना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर क्रियान्वयन करना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान करना।
33. विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कॉलेज / इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान करना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के लिए द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवायें / वस्तुएँ। लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा, जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पौतीक्लीनिक का निर्माण करेगा।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों, रासायनिक दवा की जानकारी देना, फल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात एवं निर्यात करना।

Diya

Kapoor Singh

40. बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करके उनकी कृतियों का समाज में प्रचार प्रसार करने का प्रयास करना तथा बौद्ध विहार आदि की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना।
41. शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना तथा इस निमित्त पत्रपत्रिकाओं अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना।
42. मरणोपरान्त अंगदान के इच्छुक व्यक्ति के अंग प्राप्त कर उसे जरूरत मंदों को प्रदान करना तथा ब्लड बैंक का संचालन करना।
43. उपरोक्त सभी कार्यों को क्रियान्वयन करने हेतु देशी विदेशी संस्थाओं से दान लेकर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से सारे कार्यों का सम्पादन करना तथा दान, अनुदान अथवा श्रण प्राप्त करना संस्था का मुख्य कार्य होगा।
44. गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
45. अल्प संख्यक समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा 29व अन्तर्गत मुस्लिम माइनॉरिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसो मकतबो, तहतानियाफौकानिया आलिया हाफिज, कारी, मुशी, मौलवी, आलिम्कामिल, फाजिल मुफ्ती निश्वा मदरसों तथा उच्चस्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करना।
46. बौद्ध विहार की चल / अचल सम्पत्ति की देख भाल व सुरक्षा करना।
47. समय समय पर बौद्ध धर्म दीक्षान्त समारोह का आयोजन तथा दीक्षा ग्रहण करने वाले बौद्धों को दीक्षा प्रमाण पत्र विभागीय अनुमति से निर्गत करने का प्रयास करना।

Diya

Kapal Singh

48. दलित शोषित तथा निर्धन लोगों में फैली असमानता अन्धविश्वास तथा कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
49. ट्रस्ट हित में ट्रस्ट या किसी संस्था की सम्पत्ति तथा भूमि भवन का क्रय विक्रय (बेचना व खरीदना) दान, बन्धक, एग्रीमेंट, पट्टे तथा भाड़े आदि पर लेने और देने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
50. ट्रस्ट (न्यास) न्यासकर्ता / प्रबन्धक / अध्यक्ष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंक लि. में ट्रस्ट का खाता खोलना व उसका संचालन कर सकता है।
51. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आई० टी० ई० पॉलिटेक्निक एंगीनीयरीज कालेजों मेडिकल कालेजों आदि सी० बी० एस० ई०, आई० सी० एस० ई० ३० प्र० सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान कि जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं समाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
52. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों राष्ट्रीयकृत बैंकों (बन्ध पत्र या बिना बन्ध पत्र के) साविध श्रण या पूजी गत ऋण प्राप्त करना।

7/2/2018

7/2/2018



पंजीकृत लेखपत्र का प्रमाणपत्र
Certificate of Registered Document.

श्री/श्रीमती/सुश्री रजत कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05-04-2021 के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रमाणित किया जाता है कि लेखपत्र जिसका विवरण निम्न है, को कार्यालय उपनिबंधक सदर पंचम जनपद गाजियाबाद के बही संख्या 4(विविध लेखपत्र) खण्ड/जिल्द संख्या 907 पृष्ठ संख्या- 261 से 306 क्रमांक 1420 दिनांक 15-06-2020 को निबंधित / पंजीकृत किया गया है।

- लेखपत्र का प्रकार न्यास पत्र
- प्रथम पक्ष का नाम 1.श्री रितेश कुमार सिंह 2.श्री रजत कुमार सिंह
- द्वितीय पक्ष का नाम
- सम्पत्ति का विवरण गोयल एन्क्लेव अकबरपुर बहरामपुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश,0 हे/वर्ग मी
- सम्पत्ति अवस्थिति सदर पंचम, गाजियाबाद
- लेखपत्र में अदा स्टाम्प शुल्क रु० 750/-
- लेखपत्र में अदा निबंधन शुल्क रु० 1000/-

Rt. 5/421
उपनिबंधक/ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी
कार्यालय सदर पंचम जनपद गाजियाबाद
दिनांक 05-04-2021
(हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर)

सब रजिस्ट्रार पंचम
गाजियाबाद

समस्त प्रथम आजीवन ट्रस्टी सर्वसम्मति से ट्रस्ट न्यू सैनिक चैरिटेबल ट्रस्ट पता गोयल एन्कलेव अकबरपुर बहरामपुर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं जो की निम्न प्रकार होगी

मैनेजिंग कमेटी

मैनेजिंग ट्रस्टी - श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह पुत्रगण श्री राज बहादुर सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा आजीवन ~~अध्यक्ष~~ रहेंगे।

- 1 श्री रितेश कुमार सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। अध्यक्ष
- 2 श्री रजत कुमार सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 23 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। उपाध्यक्ष
- 3 राज बहादुर सिंह पुत्र श्री जगरनाथ सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष
पता एफ 115 गली न. 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 द्वारका नई दिल्ली सचिव
- 4 बिन्दा सिंह पत्नी स्व. श्री ब्रह्मानंद उम्र लगभग 55 वर्ष
पता एफ 115 गली न. 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 डी के मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली उपसचिव
- 5 श्रीमती शोभा सिंह पत्नी श्री राज बहादुर सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष
पता ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर पॉकिट 3 द्वारका नई दिल्ली। कोषाध्यक्ष
- 6 विशाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्मानंद सिंह उम्र लगभग 25 वर्ष
पता एफ 115 गली न. 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 डी के मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली सदस्य
- 7 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री मिथिलेश कुमार सिंह उम्र लगभग 44 वर्ष
पता डी 6 नेहरू गार्डन खोडा कालोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सदस्य
8. श्री रोशन सिंह पुत्र श्री रण बहादुर सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष
पता एफ 115 गली नं० 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 दिल्ली। सदस्य
9. श्री रण बहादुर सिंह पुत्र श्री जगरनाथ सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष
पता एफ 115 गली नं० 82 महावीर एन्कलेव पार्ट 3 दिल्ली। सदस्य

Signature

Signature

प्रारम्भिक उपबन्ध

1. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष / प्रबन्धक श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह पुत्र श्री राज बहादुर सिंह की मृत्यु के पश्चात् इन के विधिक वारिस ट्रस्टी होंगे यह क्रम वंशागत (पीढ़ी दर पीढ़ी) चलता रहेगा।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / चेयरमैन पद का उत्तरदाधिकारी / हस्तान्तरण।

1. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का यह कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक को प्रदत्त किये गये हैं।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष प्रबन्धक बनेगा कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

Ritesh

Rajat Singh

5. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक को चाहिये कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराले अथवा अपनी वसीयत भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत / इच्छा / व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप में हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकार सहित पूर्ण माना जायेगा।

मैनेजिंग कमेटी

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज / मैनेजिंग कमेटी का गठन कर सकता है।
2. यह कि ^{यदि} ~~मैनेजिंग~~ ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / की इच्छा पर निर्भर करता है कि तथा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताये उसे उसके पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक जब भी उचित समझे मैनेजिंग कमेटी की बैठक आवश्यक सूचना पर आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक स्वयं करेगा।
4. यह कि मैनेजिंग कमेटी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Prakash

Rajendra

5. यह कि मैनेजिंग कमेटी द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा

अध्यक्ष / प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य काल एवं सुविधायें

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक / को ट्रस्ट विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा के स्तरको सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबन्धक का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि अध्यक्ष / प्रबन्धक ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक / भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्यक्षेत्र

1. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्वके किसी राष्ट्रीय व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

Dine

Kap Singh

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक का विशेषाधिकार

1. मैनेजिंग ट्रस्ट / अध्यक्ष / प्रबंधक को विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अर्न्तगत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत कर दें या संशोधित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक ट्रस्ट कार्यकलापो में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गये कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना
2. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

सचिव

1. ट्रस्ट के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कारवाही को रजिस्टर में दर्ज करना , अभिलेख पूर्ण करना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक के द्वारा दिये गये कार्यों को करना
3. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

Di Jadh

Kyaf Sample

उपसचिव

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गये कार्य करना तथा उनके कार्यों में सहयोग देना
2. ट्रस्ट के हित में कार्य करना

अध्यक्ष / प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक / को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / प्रबंधक / मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे।

1. मैनेजिंग कमेटी को बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।
2. ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख रेख करने के लिए उपाध्यक्षा सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना
3. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन / परिवर्तन करना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

बैंक खाता

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष / प्रबंधक स्वयं ' अथवा उसके द्वारा इस के हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है । अथवा संचालित कर सकता है।

Dr. J. K.

K. P. Singh

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित ईकाई कार्यरत किसी पाठशाला / विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / अन्य संस्था / केन्द्र / कार्यक्रम ईकाई कार्यलय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिती में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष / प्रबन्धक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है। अथवा संचालित किया जा सकता है। और सारा आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक से कराया जायेगा।

विधिक कार्यवाही

1. यदि संस्थान / ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही कि जाती है उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो अध्यक्ष / प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी कि अनुमति से अधिवक्ता कि नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या स्वयं अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्पत्ति

1. ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सभी अधिकृत अधिकार रखता है जोकि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट कि ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट कि ओर से कोई निर्णय लेन / देन विलेख बनाने हेतु आय किसी को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट कि ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेख विलेख बनाने या निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

Dr. Har

Kyul Singh

4. ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति का क्रय या विक्रय कर सकता है, देहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से श्रम दान उपहार भेंट सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन / सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल / अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञापित, बन्धक गिरवी, विभाजित आदि / कर सकता है / ले सकता है / दे सकता है।

विशेष

1. यह ट्रस्ट एक्ट 1882 के अधीन प्रसस्ति होगी।
2. ट्रस्ट द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।
3. इस ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में 10,000 रुपये के अतिरिक्त अन्य कोई चल / अचल सम्पत्ति नहीं है।
4. अध्यक्ष / प्रबन्धक / मैनेजिंग ट्रस्टी उचित समझे तो किसी / किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्हीं प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए अन्यथा निर्णय हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही को कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Dr. J. K. Singh

Rajiv Singh



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

CC 350476

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

संस्थापक / मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक / अध्यक्ष

नाम - श्री रितेश कुमार सिंह व श्री रजत कुमार सिंह

पता - ई 717 डीडीए फ्लैट बिन्दापुर द्वारका नई दिल्ली।

गवाह:

1.

श्री आनन्द कुमार सिंह पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह
निवासी ग्राम व पोस्ट चकरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश।
आधार नं० 2325 7453 4938

2.

श्री रोशन सिंह पुत्र श्री रण बहादुर सिंह
निवासी एफ 115 गली नं० 82 महावीर एन्कलेव
नई दिल्ली।
आधार नं० 6690 5420 5477

38/32 11/03/20
 अम संख्या
 स्थाप्य कर्म करने का प्रयोजन
 स्थाप्य क्रेता का नाम व पूरा पता
 स्थाप्य की पंखानि
 आवेदन सं०: 202000739032023 विक्रेता
 आवेदन का क्रमांक
 आवेदन की तिथि 31-3-20
 बही संख्या 4 जिल्द संख्या 907 के पृष्ठ 281 से 306 तक क्रमांक
 1420 पर दिनांक 15/06/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

सैनिक चौकिले बल्लू हट्ट
 फिह्रतुल्लाह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दयानन्द प्रभारी
 उप निबंधक : सदर पंचम
 गाजियाबाद
 15/06/2020

